राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-09/2020- 1562 /दि०स० 4/10/2020

प्रिय ....

षोडश बिहार विधान सभा का षोडश सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 03 अगस्त, 2020 से प्रारम्भ हुआ। कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी "COVID-19" के कारण विधान सभा का यह सत्र भौतिक दूरी एवं आवश्यक दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुये बिहार विधान सभा स्थित सभा-वेश्म में न होकर पटना के सम्राट कन्वेंशन सेंटर, गाँधी मैदान स्थित ज्ञान भवन सभागार में सम्पन्न हुआ। पूर्व निर्धारित चार दिवसीय यह सत्र दिनांक 03 अगस्त, 2020 को ही सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय सदस्यगण, षोडश विधान सभा के 16वें और अंतिम सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस परिस्थिति में हम मिल रहे हैं उसकी गंभीरता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इस सत्र का आयोजन यहाँ ज्ञान भवन में किया जा रहा है। लगभग 100 साल पहले 1920-21 में हमारा अपना मुख्य विधान मंडल भवन बना था एवं तब से लगातार सभा की बैठकें उसी के सभा-वेश्म में होती आ रही थी। आज पहली बार विधान सभा की बैठक सभा-वेश्म में न होकर सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के इस ज्ञान भवन सभागार में आहूत किया गया है। यह अपने आप में विशेष एवं असाधारण परिस्थिति का द्योतक है।

आज बिहार के साथ पूरा देश एवं पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के प्रकोप से त्रस्त है। विश्व भर के वैज्ञानिक एवं चिकित्सक अथक प्रयास के बावजूद कोरोना वायरस के संक्रमण का न तो इलाज खोज पाए हैं, और न ही इसके निरोध के टीके यानी वैक्सिन बनाने में अभी तक सफल हो पाए हैं। इस तरह यह संपूर्ण मानव जाति एवं विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है।

आपको स्मरण होगा कि पिछले फरवरी-मार्च के बजट सत्र को भी बीच में ही 16 मार्च, 2020 को इस महामारी के फैलते स्वरूप के कारण हमने स्थगित कर दिया था। आज स्थिति और भी गंभीर हो चुकी है। हमारे कई विधायक एवं मंत्री भी संक्रमित हुए हैं। हम सबों के लिए ऐसी परिस्थिति में चुनौतियाँ और भी इस ज्ञान भवन के भूतल पर ही कोरोना जाँच के लिए आज विशेष मेडिकल टीम मौजूद है। जो भी माननीय सदस्य चाहें तो अपनी जाँच करा सकते हैं। साथ ही, सरकार की तरफ से मास्क एवं कोरोना के संबंध में करणीय एवं अकरणीय (डूज एवं डोन्ट्स) की एक छोटी पुस्तिका भी है, जो आप जाते समय अवश्य ले लेंगे।

माननीय सदस्यगण, वैसे तो यह सत्र 4 दिनों के लिए निर्धारित है जिसमें सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों तरह के कार्यों का निष्पादन होना है परन्तु परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीते शुक्रवार यानी 31 जुलाई, 2020 को दलीय नेताओं की बैठक में कुछ निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं, जिन्हें अभी सदन में आपके समक्ष रखा जाएगा। साथ ही, एक और सूचना देनी है कि विशेष परिस्थिति होने के कारण हम लोग आज भोजनावकाश का अन्तराल भी नहीं करेंगे और सारी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

मैं आशा करता हूँ कि सदन संचालन में आप सब माननीय सदस्यों का पूर्ण सहयोग पूर्व की भाँति ही प्राप्त होगा।

अध्यादेश

संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (2) (क) के अनुसार महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित निम्न अध्यादेशों की एक एक प्रति सभा मेज पर रखा गया:

(1) बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2020
(2) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020
(3) बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020
(4) बिहार कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020
(5) बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) अध्यादेश,2020

(6) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2020
(7) बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2020
(8) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020
(9) औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020
(10) कारखाना (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020

अनुमत विधेयक

दिनांक 03 अगस्त, 2020 को बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्न 03 (तीन) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2020
2. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020
3. बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020

वित्तीय कार्य

दिनांक 03 अगस्त, 2020 को वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया तथा प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँग सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं तत्संबंधी बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2020 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के परिणाम बजट की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
2. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के उपलब्धि प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
3. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(ए) (2) के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020
2. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020
3. बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020
4. बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2020
5. बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2020
6. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण)विधेयक, 2020
7. बिहार लोक कार्य विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020
8. बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2020
9. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020
10. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020
11. औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020
12. कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020
13. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2020

प्रश्न/ ध्यानाकर्षण सूचना

दिनांक 04, 05 एवं 06 अगस्त, 2020 के लिए सभी स्वीकृत प्रश्नों एवं ध्यानाकर्षण को संबंधित विभागों को इस निर्देश के साथ भेजा गया कि इसका उत्तर 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से सभा सचिवालय को उपलब्ध करा दिये जायें ।

गैर सरकारी संकल्प

दिनांक 06 अगस्त, 2020 के लिए सभी स्वीकृत गैर सरकारी संकल्पों को समीक्षार्थ बिहार विधान-सभा की गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति को सौंप दिये गये ।

सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श

दिनांक 03 अगस्त, 2020 को ''राज्य में कोविड-19 महामारी एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति'' पर विमर्श किया गया ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय राम पदारथ महतो, पूर्व स०वि०स०
2. स्वर्गीय उपेन्द्र प्रसाद वर्मा, पूर्व स०वि०स०
3. स्वर्गीय वीरेन्द्र प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय देवानन्द कुंवर, पूर्व राज्यपाल, बिहार एवं अन्य
5. स्वर्गीय योगेन्द्र प्रसाद साहू, पूर्व स०वि०स०
6. स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय सरोज दूबे, पूर्व सांसद
8. स्वर्गीय विद्या सागर निषाद, पूर्व स०वि०स०
9. स्वर्गीय राम अवधेश सिंह, पूर्व सांसद एवं स०वि०स०
10. स्वर्गीय लालजी टंडन, पूर्व राज्यपाल, बिहार
11. स्वर्गीय सुनील कुमार सिंह, पूर्व स०वि०प०
12. स्वर्गीय नरेश दास, पूर्व स०वि०स०
13. स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०स०
14. स्वर्गीय विजय नारायण भारती, पूर्व स०वि०स०
15. स्वर्गीय सत्य नारायण सिंह, पूर्व स०वि०स०

दिनांक 03 अगस्त, 2020 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई । तदोपरांत महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16.09.2020 को बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

Raj Kr. 01.10.20

(राज कुमार सिंह)

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

....

....

....